संख्या-28/2017/284/41-2017-96 सा0/2014

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
पर्यटन
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ, दिनांक 31 मार्च, 2017

विषय- पर्यटक आवास गृह राधाकुण्ड जनपद मथुरा की भूमि का मूल्यांकन रिपोर्ट (मा0 उच्चन्यायाल द्वारा पारित आदेश रिट सं0 31835 दिनांक 15.07.2016 व अवमानना याचिका सं0 723/2017 के अनुपालन में भूमि के प्रतिकर हेतु स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-10249/6-1-1(796)2017, दिनांक 24-03-2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पर्यटक आवास गृह राधाकुण्ड जनपद मथुरा के सामने निजी भूमि खसरा सं0 998 मि0 0.135 हे0 में से जुजभाग क्षेत्रफल 0.053 हे0 के क्रय/अर्जन हेतु अपर जिलाधिकारी (वि0रा0) मथुरा की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा मूल्यांकित धनराशि रू0 46,64,000.00 (रूपये छियालीस लाख चौंसठ हजार मात्र) के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपलब्ध आय-व्ययक के अनुसार रू0 25,00,000.00 की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्यटक आवास गृह राधाकुण्ड जनपद मथुरा के सामने निजी भूमि खसरा सं0 998 मि0 0.135 हे0 में से जुजभाग क्षेत्रफल 0.053 हे0 के क्रय/अर्जन हेतु अपर जिलाधिकारी (वि0रा0) मथुरा की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा मूल्यांकित धनराशि रू0 46,64,000.00 (रूपये छियालीस लाख चौंसठ हजार मात्र) के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपलब्ध आय-व्ययक के अनुसार रू0 25,00,000.00 की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं -

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) प्रस्तर-2 में स्वीकृत धनराशि का व्यय करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त भूमि का अधिग्रहण करने में समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की गयी है तथा शासन की अनुमति अनिवार्य रूप से ली गयी है। भूमि अधिग्रहण हेतु राजस्व विभाग तथा अन्य संगत नियमों यथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनरव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार ही सुनिश्चित किया जाय।

(2) प्रस्तर-2 में स्वीकृत की जा रही धनराशि जिलाधिकारी मथुरा के माध्यम से निजी भूमि स्वामियों को प्रतिकर के रूप में प्रदान कराये जाने की कार्यवाही संगत नियमों के अनुसार करायी जाय।

(3) प्रस्तर-2 में स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2016 बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृति धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।

(4) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त प्रतिकर की धनराशि का भुगतान इससे पूर्व न किया गया हो तथा वास्तविक भू-स्वामी को ही इसे भूगतान करने की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि धनराशि बचती है तो उसे इसी वित्तीय वर्ष में शासन को अनिवार्य रूप से समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(7) प्रस्तर-3 में स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में दिये गये शर्तों एवं प्रतिबन्धों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत की जा रही धनराशि जिस मद में प्राविधानित मद से की जा रही है

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उसका व्यय उसी प्राविधान के अनुरूप किया जाय तथा उसमें किसी प्रकार का विचलन न हो।

4. उक्त प्रस्तर-2 में स्वीकृत धनराशि पर होने वाला चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखा शीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-03-पर्यटन आवास गृहों के लिए भूमि की अध्यासि-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2016 बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

संख्या-28/2017/300(1)/41-2017 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी मथुरा
3- सबरजिस्टार मथुरा/पर्यटक अधिकारी, मथुरा।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7
9- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
10- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।